संख्या-691/2026/आई/1417612/23-1-26/23-11099(099)/66/2025

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ :दिनांक 31 जुलाई, 2026**

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश में अन्तर्राज्जीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गो का निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत जनपद ललितपुर में बांसी-जखौरा मार्ग के किमी0 1 से 15 (77) (म0प्र0 की सीमा तक) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या- 7816/07बी0/जीएसटी-मांग प्रस्ताव/2025-26, दिनांक 10.10.2025 एवं पत्र संख्या-2117बी0जी0/2026-27, दिनांक 08.05.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत **प्रदेश में अन्तर्राज्जीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गो का निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत जनपद ललितपुर में बांसी-जखौरा मार्ग के किमी0 1 से 15 (77) (म0प्र0 की सीमा तक) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु मूल स्वीकृत लागत रू0 20,16,29,000/- (रूपये बीस करोड़ सोलह लाख उनतीस हजार मात्र) में से बचत की धनराशि रू0 1,54,38,000/-(रूपये एक करोड़ चौवन लाख अड़तीस हजार मात्र) को समायोजित करते हुए कुल धनराशि रू0 18,61,91,000/-(रूपये अठ्ठारह करोड़ इकसठ लाख इक्यानबे हजार मात्र) में अतिरिक्त 06 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 76,44,000/-(रूपये छियत्तर लाख चौवालीस हजार मात्र) को जोड़ते हुए कार्य की कुल लागत रू0 19,38,35,000/-(रूपये उन्नीस करोड़ अड़तीस लाख पैंतीस हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	जनपद/ खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मूल स्वीकृति का शासनादेश	स्वीकृत/ तकनीकी लागत	अब तक आवंटन	अतिरिक्त जीएसटी की धनराशि	अतिरिक्त जी0एस0टी0 सहित पुनरीक्षित कुल लागत (6++7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि0खं0 ललितपुर	बांसी-जखौरा मार्ग के किमी0 1 से 15 (77) (म0प्र0 की सीमा तक) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	285/2021/83(आ)/23-11-2021-1/2(56)/2021, दिनांक 22-03-2021	2016.29 2016.29	1861.91	76.44	1938.35

(1) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की गणना के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

(2) जी0एस0टी0 का भुगतान वास्तविक देयता के आधार पर किया जायेगा।

(3) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उक्त परियोजनाओं हेतु मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक जारी उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित मूल शासनादेशों की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक--5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-17-प्रदेश में अन्तर्राज्जीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गो का निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण-00-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-239X-2026-27, दिनांक 30-07-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
10- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन|

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

12- राज्य योजना आयोग- 1/2, उ0प्र0 शासन ।
13- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन ।
15- नोडल अधिकारी (ऑन लाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन|
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।